समाहरणालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दिनांक 30.03.2015 को आयोजित जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक मे लिए गए निर्णय

क्र	लिए गए निर्णय का सारांश	सम्बद्ध पदाधिकारी
1.	प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा के द्वारा बताया गया कि एम0जे0सी0 के निम्न मामले लंबित हैं। एम0जे0सी0 भुवनेश्वर यादव बनाम राज्य का मामला अंचलाधिकारी, बहेडी से संबंधित है, अंचलाधिकारी, बहेडी के स्तर पर की गयी अद्यतन कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन अप्राप्त है। शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। एम0जे0सी0 अजय कुमार चौधरी बनाम राज्य का मामला अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर से संबंधित है, इस मामले मे तथ्य विवरणी संशोधन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर को पुनः भेजा गया है। अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया। एम0जे0सी0 चन्द्रभूषण चौधरी बनाम राज्य का मामला अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल से संबंधित है। अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल से तथ्य विवरणी प्राप्त नहीं हुई है। बिरौल प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल से सम्पर्क कर शीघ्र तथ्य विवरणी समर्पित करवाना सुनिश्चित करें। एम0जे0सी0 महादेव झा बनाम राज्य का मामला खान निरीक्षक, दरभंगा से संबंधित है, प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा द्वारा बताया गया कि संशोधित तथ्य विवरणी प्राप्त हो गयी है, जिस पर आवश्यक कार्रवाई हेतु अंचलाधिकारी, गौड़ा बौराम को निदेश दिया गया है। उन्हें शीघ्र कारणपृच्छा दाखिल करवाने का निदेश दिया गया। एम0जे0सी0 सत्यनारायण गुप्ता बनाम राज्य का मामला शिक्षक नियोजन से संबंधित है। इसकी तथ्य विवरणी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जाले द्वारा समर्पित की जानी है। वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जाले प्रखंड को इस संबंध में अविलंब अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। एम0जे0सी0 राम कुमार मुखिया बनाम राज्य से संबंधित मामला प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलीनगर से संबंधित है,जो शिक्षक नियोजन का है, इसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना को इसमें तत्काल अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया। एम0जे0सी0 सुरेश दास बनाम राज्य का मामला प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलीनगर से संबंधित है,जो शिक्षक नियोजन का है, इसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना को इसमें तत्काल अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया। एम0जे0सी0 सरयुग लाल बनाम राज्य के मामले में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा बताया गया कि तथ्य विवरणी संबंधित अधिवक्ता को अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा चुकी है। उन्हें शीघ्र कारणपृच्छा दाखिल करवाने का निदेश दिया गया। एम0जे0सी0 भगवान मिश्र बनाम राज्य, उप विकास आयुक्त, दरभंगा से संबंधित है। शीघ्र कारण पृच्छा दाखिल करने का निदेश दिया गया।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा/संबंधित प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना/ उप विकास आयुक्त, दरभंगा/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा

2.	महत्वपूर्ण सी0डब्लू0जे0सी0 में विकास चन्द्र गुड्डू बाबा बनाम राज्य की अगली सुनवाई 13.04.2015 को निर्धारित है। इस मामले में निर्धारित समय सीमा के अन्दर कारणपृच्छा दाखिल करवाने का निदेश दिया गया। साथ ही इस संबंध में दाखिल टाईटिल सूट के संबंध में बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में यह खारिज हो चुका है लेकिन जिला स्तरीय सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि निम्न न्यायालय में उपरोक्त टाईटिल सूट से संबंधित वाद चल रहा है, अतः अभी जमीन को खाली नहीं करवाया जा सकता है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को निदेश दिया गया कि वे इस आशय का प्रतिवेदन सरकारी अधिवक्ता से प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। बिठौली पैक्स से संबंधित सी0डब्लू0जे0सी0 के संबंध में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि उनके स्तर से प्रति शपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है। कोऑपरेटिव सोसाईटी के स्तर से जवाब दिया जाना लंबित है। इस वाद की अगली सुनवाई 27.04.2015 को निर्धारित है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे संबंधित कोऑपरेटिव सोसाईटी से अविलंब प्रतिशपथ पत्र दाखिल करवाना सुनिश्चित करें। सी0डब्लू0जे0सी0 महेश ना0 चौधरी बनाम राज्य का मामला अंचलाधिकारी, बिरौल से संबंधित है। यह अतिक्रमण का मामला है। अपर समाहर्त्ता, दरभंगा को इस संबंध में अपने स्तर से कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। सी0डब्लू0जे0सी0 इन्दकान्त झा बनाम राज्य, जिला मत्स्य पदाधिकारी, दरभंगा से संबंधित है। यह मामला कुशेश्वरस्थान में तालाब बन्दोबस्ती का है। जिला मत्स्य पदाधिकारी, दरभंगा को अविलंब अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। सी0डब्लू0जे0सी0 राम ना0 बनाम राज्य अंचलाधिकारी, केवटी से संबंधित है। केवटी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को इस संबंध में अविलंब अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। सी0डब्लू0जे0सी0 प्रदीप कुमार मिश्र बनाम राज्य का मामला भू–अतिक्रमण से संबंधित है। यह वाद अंचल अधिकारी, सिंहवाड़ा से संबंधित है। वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सिंहवाड़ा प्रखंड को इस संबंध में अविलंब अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा/स्थापना उप समाहर्त्ता
3.	लोक सेवाओं का अधिकार की समीक्षा के क्रम में स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य सभी कार्यालयों में Syn की स्थिति संतोषप्रद है। शिक्षा विभाग में पिछले तीन दिनों से Syn नहीं हो रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा को इसे अविलंब ठीक करवाने का निदेश दिया गया। साथ ही जिस दिन Syn नहीं हो उसी दिन संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रधान से सम्पर्क कर Syn में सुधार करवाने का निदेश प्रभारी जिला आई0टी0 प्रबंधक, दरभंगा को दिया गया। जिन पदाधिकारी/कर्मी से दण्ड की राशि की वसूली की जानी है, उसके लिये स्मार निर्गत करने का निदेश स्थापना उप समाहर्त्ता को दिया गया। यदि इस सप्ताह में राशि की वसूली नहीं होती है तो संबंधितों के विरूद्ध प्रपत्र–क गठित कर मँगवाने का भी निदेश उन्हें दिया गया। स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि बहेड़ी, सिंहवाड़ा, जाले एवं घनश्यामपुर प्रखंडों से तथा वाणिज्य कर विभाग से छापामारी का प्रतिवेदन अप्राप्त है। संबंधित प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी तथा वाणिज्य कर पदाधिकारी को नियमित रूप से छापामारी का प्रतिवेदन नियमित रूप से समर्पित करने का निदेश दिया गया।	स्थापना उप समाहर्त्ता/प्रभारी जिला आई0टी0 प्रबंधक, दरभंगा/वाणिज्य कर पदाधिकारी/संबंधित प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी
4.	सम्पत्ति की विवरणी की समीक्षा के क्रम में स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि निर्धारित समय पर सम्पत्ति विवरणी का सी0डी0 बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को भेजा जा चुका है। सी0डी0 भेजते समय 341 कर्मियों के सम्पत्ति की विवरणी प्राप्त नहीं हुई थी। बाद में वन विभाग के 22 कर्मियों के सम्पत्ति का ब्यौरा प्राप्त हुआ है। उन्हें निदेश दिया गया कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पदाधिकारी से बात कर प्राप्त आँकड़ा उन्हें उपलब्ध करवा दिया जाय।	स्थापना उप समाहर्त्ता

	धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के क्रम में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, दरभंगा द्वारा बताया गया कि पैक्स के माध्यम से 1597.84 एम0टी0 धान की अधिप्राप्ति की गयी है, जबकि सीधे किसानों से 1091.12 एम0टी0 धान की अधिप्राप्ति की गयी है। जिला प्रबंधक को गत सप्ताह सीधे किसानों से धान की अधिप्राप्ति नहीं करने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। जिला प्रबंधक को भविष्य के लिये चेतावनी दी गयी। जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा बताया गया कि पैक्सों के माध्यम से 16241 एम0टी0 धान की खरीद की गयी है। उन्होंने यह भी बताया कि जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्सवार कितना–कितना धान प्राप्त किया गया है, इसका प्रतिवेदन मांगे जाने पर भी इसे उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उक्त प्रतिवेदन आज ही उपलब्ध कराने का निदेश जिला प्रबंधक को दिया गया। साथ ही जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि 31.03.2015 तक लक्ष्य के अनुरूप धान की अधिप्राप्ति सुनिश्चित करावें। सभी प्रखंडो के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे दिनांक 01.04.2015 को अपने प्रखंडो में धान अधिप्राप्ति के अद्यतन स्थिति की जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित करें। समीक्षा के क्रम मे जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि अभी तक 6 मिलरों से कुल 73 लॉट सी0एम0आर0 की प्राप्ति हुई है। प्रगति अत्यंत असंतोषजनक है। जिला प्रबंधक को आज संध्या 04.00 बजे सभी मिलरों की एक बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया। साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी को कम सी0एम0आर0 प्राप्त करने एवं पैक्सवार धान अधिप्राप्ति का प्रतिवेदन नही देने के लिये जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया। खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की समीक्षा के क्रम में जिला प्रबंधक द्वारा बताया गया कि अप्रैल 2015 के चावल का 64 प्रतिशत एवं गेहूँ का 40 प्रतिशत उठाव हुआ है। दिनांक 30.03.2015 तक ही शत प्रतिशत उठाव करना है। उन्हें निदेश दिया गया कि हर हाल में निर्धारित अवधि के अन्दर शत प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव सुनिश्चित करावें। किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न व्ययगत नहीं होना चाहिए। खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के क्रम में जिला प्रबंधक द्वारा बताया गया कि माह जनवरी 2015 का 65 प्रतिशत वितरण अभी तक हो चुका है। उन्हें 31.03.2015 तक माह जनवरी 2015 का शत प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करवाने का निदेश दिया गया।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, दरभंगा तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी
6.	विद्युत विभाग के समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, शहरी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि अभी तक 4.01 करोड़ रूपये राजस्व की वसूली हुई है। इसी प्रकार कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में 2.86 करोड़ रूपये की वसूली हुई है। दोनो प्रमंडलों में वसूली लक्ष्य से काफी पीछे है। दोनों कार्यपालक अभियंताओं को दिनांक 31.03.2015 तक लक्ष्य के अनुरूप राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि हनुमाननगर प्रखंड के पंचोभ एवं नरसरा गाँवों के उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, हनुमाननगर एवं थानाध्यक्ष, विशनपुर के सहयोग से उक्त दोनों गाँवों की बिजली अविलंब काटना सुनिश्चित करें। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल द्वारा बताया गया कि 11000 में से 4532 मीटर लगाये जा चुके है। उन्हे शेष मीटर 15.04.2015 तक लगवाने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना द्वारा बताया गया कि 50 किलोमीटर में केबलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। डी0एम0सी0एच0 विद्युत सब स्टेशन में पावर ट्रान्सफॉर्मर लगा दिया गया है। मब्बी में विद्युत सब–स्टेशन के लिये जमीन उपलब्ध हो चुका है, लेकिन रामनगर में जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस सप्ताह में दोनों विद्युत उप केन्द्रों के लिए जमीन का प्रस्ताव कम्पनी को भेजने का निदेश उन्हें दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण / शहरी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा / कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना, दरभंगा

7.	प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा द्वारा बताया गया कि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का UIN जेनरेट करने के क्रम में 950 आवेदन प्राप्त हुये थे, जिसमें से 875 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। शेष आवेदनों का डाटा पूरा भरा नहीं रहने के कारण इसका निष्पादन नहीं हो सका था, जिसमें से 30 का डाटा प्राप्त हो गया है, जिसके निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है। जिन शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आवेदन नहीं जमा किया गया है, उन्हें नोटिश निर्गत किया जा रहा है। यदि वे निर्धारित अवधि के अन्दर आवेदन जमा नहीं करेंगे तो उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी। प्रभारी पदाधिकारी को इस संबंध में एक बैठक शीघ्र आयोजित करवाने का निदेश दिया गया।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, दरभंगा
8.	जिला स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा बताया गया कि 8 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित करना था, जिसमें से जोरजा को छोड़कर शेष हस्तान्तरित हो चुका है, जोरजा अति०प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र के खिड़की का शीशा एवं प्लास्टर कई जगहों से टूट जाने के कारण उसकी मरम्मति का निदेश संबंधित कार्य एजेन्सी को दिया गया है। एम०एस०डी०पी० के तहत निर्माणाधीन अ०प्रा०स्वा० केन्द्र जिनमें विद्युत कार्य नहीं होने के कारण इसे हस्तान्तरित नहीं किया जा सका, में संबंधित कार्य एजेन्सियों को विद्युत कार्य का प्राक्कलन समर्पित करते हुये राशि की माँग करने का निदेश दिया गया था। इसमें भवन निर्माण विभाग के यहाँ रानीपुर एवं कलिगाँव, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा–1 के यहाँ–अटहर, बिठौली, जोरजा, मुरैठा एवं योगियारा, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बेनीपुर के यहाँ उसरी एवं पोखराम तथा जिला अभियंता के यहाँ राघोपुर एवं वाजितपुर अति०प्रा०स्वा० केन्द्रों में विद्युत कार्य का प्राक्कलन अप्राप्त है। इन सभी कार्य एजेन्सियों को इस सप्ताह में प्राक्कलन समर्पित करते हुये राशि की माँग करने का निदेश दिया गया। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि यदि इस सप्ताह में प्राक्कलन प्राप्त नहीं होता है तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, दरभंगा की खोज किये जाने पर वे अनुपस्थित पाये गये। उनके आज का वेतन स्थगित करते हुये उनसे स्पष्टीकरण पूछने एवं उनके विरूद्ध विभाग को प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा की खोज किये जाने पर वे भी अनुपस्थित पाये गये। उनके आज का वेतन स्थगित करते हुये उनसे स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। जिला स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा बताया गया कि अ०प्रा०स्वा० केन्द्र कशी का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है जबकि इसे 31.03.2015 तक ही पूरा करने का निदेश था। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, स्था०क्षे०अभि० संगठन, दरभंगा–1 द्वारा बताया गया कि योजना में विभागीय रूप से श्री विनोद मंडल कनीय अभियंता द्वारा कार्य कराया जा रहा है। कार्य एक–दो दिन पहले पुनः प्रारंभ किया गया है और इसको 15.04.2015 तक पूर्ण किया जा सकेगा। कार्यपालक अभियंता को संबंधित कनीय अभियंता से निर्धारित अवधि में कार्य नहीं पूरा करने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं इस संबंध में प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बेनीपुर–2 के कार्यों की समीक्षा करने तथा स्थिति से अवगत कराने का निदेश जिला योजना पदाधिकारी, दरभंगा को दिया गया।	अपर समाहर्त्ता/सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/संबंधित कार्यकारी एजेन्सी/विशेष कार्य पदाधिकारी/जिला योजना पदाधिकारी/जिला स्वास्थ्य प्रबंधक/संबंधित कार्यपालक अभियंता/कनीय अभियंता
9.	आधार कार्ड की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई वेन्डर अनुपस्थित हैं, उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुये उनके कार्यों की समीक्षा करने का निदेश उप विकास आयुक्त, दरभंगा को दिया गया। साथ ही उनके कार्य कलाप के संबंध में प्रतिवेदन विभाग एवं UDAI Ranchi को भेजने का निदेश भी उन्हें दिया गया। शेष उपस्थित वेन्डर फिनो, मकरजी एवं उर्मिला का कार्य भी संतोषप्रद नहीं पाया गया। उन्हें कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारियों से आधार कार्ड तैयार किये जाने का विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश उप विकास आयुक्त, दरभंगा को दिया गया।	उप विकास आयुक्त, दरभंगा/संबंधित वेण्डर।

10.	निर्वाचन कार्यों की समीक्षा के क्रम में डुप्लीकेट नामों को मतदाता सूची से हटाने के संबंध में उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बेनीपुर एवं अलीनगर को छोड़कर अन्य प्रखंडों में यह कार्य समाप्त हो चुका है। इसे बी0एल0ओ0 से चेक करवाने एवं उनका प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का निदेश उप निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया। मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ा जाना है, इसके लिये सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश उप निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा को दिया गया।	उप निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा
11.	विद्यालयों को उत्क्रमित करने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी/श्री कमरे आलम, वरीय उप समाहर्त्ता, दरभंगा को दिया गया था। उन्हें आज ही प्रतिवेदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण मद का 2.19 करोड़ रूपये का डी0सी0 विपत्र कार्यपालक अभियंता, स्था0क्षे.अभि0 संगठन, दरभंगा–1 के यहाँ लंबित है। कार्यपालक अभियंता को इस सप्ताह में डी0सी0 विपत्र समर्पित करने का निदेश दिया गया।	जिला शिक्षा पदाधिकारी/श्री कमरे आलम, वरीय उप समाहर्त्ता, दरभंगा/ कार्यपालक अभियंता, स्था0क्षे. अभि0 संगठन, दरभंगा–1
12.	सासद आदर्श ग्राम योजना के तहत अलीनगर प्रखंड अन्तर्गत चयनित ग्राम नरमा नवानगर में जागरूकता अभियान चलाकर एवं योजनाओं का कार्यान्वयन करते हुये उसका फोटोग्राम समर्पित करने का निदेश सिविल सर्जन, दरभंगा/जिला पशुपालन पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/वन प्रमंडल पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल/ग्रामीण विद्युत/पथ आदि को दिया गया।	संबंधित पदाधिकारी/ कार्यपालक अभियंता

ह0/–
जिलाधिकारी,
दरभंगा

ज्ञाप संख्या......1156/सी0, लहेरियासराय, दिनांक 30 मार्च, 2015.

प्रतिलिपि जिला स्तरीय सभी विभागीय/तकनीकी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा/बेनीपुर/बिरौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।